भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्याः 258
उत्तर देने की तारीखः 20.03.2017

मदरसा शिक्षकों का वेतन

***258. डॉ॰ भागीरथ प्रसादः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मदरसों में स्नातक शिक्षकों के वेतन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त शिक्षकों के वेतन को लंबे समय से संशोधित नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए योग्य स्नातकों को आकर्षित करने के लिए शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी किए जाने का है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

मदरसा शिक्षकों के वेतन के संबंध में डॉ. भागीरथ प्रसाद द्‌वारा दिनांक 20.03.2017 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 258 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) के अंतर्गत स्नातक शिक्षकों को 12 माह के लिए प्रतिमाह 6000 रुपए की दर से वेतन भुगतान का प्रावधान है।

(ख) स्नातक शिक्षकों का वेतन इस योजना के आरंभ होने पर वर्ष 2008-09 में निर्धारित किया गया था।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****